राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सड़ा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–40/2018

वादी	**बनाम**	प्रतिवादी
बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी सड़ा धनजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–28.5.2018

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद इस आशंय का प्रस्तुत किया गया,कि ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 600 रकबा 68–10 बीधा भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। कि तत्कालीन खातेदार मेरे पिता रूपाराम द्वारा अपने 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि कुल रकबे का 1/16 हिस्से का बेचान गिरधारीराम को किया गया था। और बेचानपत्र के आधार पर 1/4 हिस्से में से 3/16 हिस्सा मेरे पिता के नाम एवं 1/16 हिस्सा खरीददार गिरधारीराम के नाम दायर करने के बजाय दोनो का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दायर किया गया। जो कि गलत दायर किया गया है,संयुक्त भूमि रखे जाने के कारण मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ एवं ऋण इत्यादि लेने में समस्या आती है। अतः विवादित भूमि में दर्ज गलत हिस्से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

के स्थान पर 1/4 हिस्से में से 3/16 हिस्या वादी का एवं 1/16 हिस्सा गिरधारीराम का धोषित किया जावें।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। और वादग्रस्त भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा विवादित भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोट अनुशंसा सहित उपलब्ध करवाई गई।

3.वादी साक्ष्य में वादी स्वंय बांकाराम व वादी के साथ सहखातेदार गिरधारीराम के बयान कलमबद्व किये गये।

4.हमनें उभयपक्ष को सुना और तहसीलदार सिणधरी की तथ्यात्मक जांच रिर्पोट, बयानात एवं राजस्व रिकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिणधरी ने अपनी समग्र जांच रिर्पोट में उल्लेखित किया कि ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 600 रकबा 68–10 बीधा भूमि में बांकाराम एवं गिरधारीराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है,पूर्व में बांकाराम के पिता का इस भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज था। जिसमें वादी के पिता रूपाराम द्वारा अपने 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि कुल रकबे का 1/16 हिस्सा विक्रय किया गया था। इस विक्रय द्वारा दर्ज किये गये ग्राम सड़ा धनजी के नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 26.3.97 में हिस्सा दर्ज न कर रूपा (विकेता) एवं गिरधारीराम (केता) का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा ही दर्ज किया गया। अतःवादी बांकाराम एवं गिरधारीराम के वादपत्र एवं दिनांक 5.2.97 के पंजीयन कमांक 29/97 के आधार पर ग्राम सड़ा धनजी के तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 600 रकबा 68–10 बीधा भूमि में बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम,गिरधारीराम वल्द जीयाराम हिस्सा 1/4 के स्थान पर बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम हिस्सा 3/16 एवं गिरधारीराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/16 दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई है। एवं वादी के हिस्से के साथ सहखातेदार केता गिरधारीराम ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वादी के पिता द्वारा मुझे अपने 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि कुल रकबे का 1/16 हिस्सा का बेचान किया गया था। एवं मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार वादी एंव गिरधारीराम का रिकार्ड में दर्ज संयुक्त 1/4 हिस्से के स्थान पर 3/16 हिस्सा वादी का एवं 1/16 हिस्सा गिरधारीराम का है। उपरोक्त विवेचन से साबित है कि 1/4 हिस्से में 3/16 हिस्सा वादी का एवं 1/16 हिस्सा गिरधारीराम का है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सड़ा धनजी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 600 रकबा 68–10 बीधा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित हिस्सा प्रविष्टि बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम,गिरधारीराम वल्द जीयाराम हिस्सा 1/4 के स्थान पर बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम 3/16 हिस्सा एवं गिरधारीराम वल्द जीयाराम 1/16 हिस्सा दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगे। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सड़ा

पीठासीन अधिकारी:–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी सड़ा धनजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:–88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–40/2018

निर्णय दिनांक :–28.5.2018

वादी की ओर से स्वंय उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 28.5.2018 को श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, **आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है** कि:– वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 600 रकबा 68–10 बीधा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित हिस्सा प्रविष्टि बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम,गिरधारीराम वल्द जीयाराम हिस्सा 1/4 के स्थान पर बांकाराम गोदपुत्र रूपाराम 3/16 हिस्सा एवं गिरधारीराम वल्द जीयाराम 1/16 हिस्सा दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगे। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आज तारीख.28-5-18. .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner